भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 236

07 अगस्त, 2024 के लिए प्रश्न

खाद्य सुरक्षा योजना में गैर-प्राथमिकताधारक नागरिकों को शामिल करना

236. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा केन्द्र सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना में ओरेंज राशन कार्ड वाले गैर-प्राथमिकता धारक (एनपीएच) नागरिकों को शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) सरकार यह किस प्रकार सुनिश्चित करेगी कि निर्धारित सीमा से थोड़ी अधिक आय वाले एनपीएच नागरिकों को भी रियायती दरों पर आवश्यक खाद्यान्न प्राप्त हों;

(ग) क्या अनेक परिवारों को खाद्य राजसहायता परित्याग प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ड.) क्या वर्ष 2014 के दौरान खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत बहुत से परिवार नि:शुल्क राशन से वंचित रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (ड): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 07.08.2024 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न सं. 236 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): सरकार अखिल भारत स्तर पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) का कार्यान्वयन कर रही है, जो 75% तक ग्रामीण आबादी और 50% तक शहरी आबादी को नि:शुल्क खाद्यान्न प्रदान करते हुए कवरेज प्रदान करता है।

पीएमजीकेएवाई स्कीम केन्द्रीय और राज्य सरकारों की संयुक्त जवाबदेही में प्रचालित की जाती है। केन्द्रीय और राज्यों की संयुक्त जवाबदेही के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए निर्धारित कवरेज के भीतर लाभार्थियों की पहचान की जिम्मेदारी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के पास होती है। इस अधिनियम के तहत लाभार्थियों की पहचान दो श्रेणियों में की गई है- अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के तहत कवर किए गए परिवार, जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा तक निर्धन से निर्धनतम को शामिल किया गया है और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए निर्धारित कवरेज के भीतर उनके द्वारा बनाए गए मानदंडों के अनुसार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा चिह्नित प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) के रूप में शेष परिवारों को शामिल किया गया है।

वर्तमान में, पीएमजीकेएवाई के तहत गैर-प्राथमिकता (एनपीएच) श्रेणी के समावेशन के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ): किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से ऐसी कोई भी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ): वर्ष 2014 में, खाद्यान्न, चावल/गेहूं/मोटा अनाज राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत उच्च सब्सिडीयुक्त मूल्यों पर क्रमश: 3/2/1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से वितरित किए जा रहे थे। दिनांक 01 जनवरी, 2023 से खाद्यान्नों का नि:शुल्क वितरण शुरू किया गया। इसके अलावा, पीएमजीकेएवाई के तहत नि:शुल्क खाद्यान्न के लाभ से किसी भी पात्र परिवार के वंचित होने के बारे में किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।